फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : मायाकुमारी | **विपक्षी : श्री भगवान**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 05/24**

जीसीएमएस : 2024/11

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 16.05.2024 पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थीया मय प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी मय विड्रो का पेश करने पर तलब की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीया मय स्वयं प्रार्थीया द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र तलबी मय विड्रो का पेश कर प्रकरण को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया एवं स्वयं प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र वाद विड्रो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विड्रो को पढकर अधिवक्ता प्रार्थीया मय प्रार्थीया को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। प्रार्थीया की पहचान अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा की गई। चूंकि अधिवक्ता प्रार्थीया मय प्रार्थीया अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा इसी स्तर पर विड्रो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विड्रो का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विड्रो फरमाया जाकर खारिज किया जाता हैं। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(मनसुख राम डामोर)** **सहायक कलक्टर** **(FT) मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Mansukh Ram Damor Date: 2024.05.16 15:47:37 IST Reason: SelfAttested	